



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468

F.No.CUS/APR/MISC/3595-A/GR

दिनांक Dated. 14.07.2022

स्थायी आदेश सं. STANDING ORDER NO. 02/2022

सीमा शुल्क के सभी संबंधित अधिकारियों का ध्यान सी बी आई सी परिपत्र संख्या 14/2021-सीमा शुल्क दिनांक 07.07.2021, संख्या 28/2020-सीमा शुल्क दिनांक 05.06.2020, संख्या 40/2020-सीमा शुल्क दिनांक 04.09.2020, सं. 45/2020- सीमा शुल्क दिनांक 12.10.2020 और संख्या 55/2020-सीमा शुल्क दिनांक 17.12.2020 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो संयुक्त रूप से 31.10.2020 से प्रभावी फेसलेस असेसमेंट पैन इंडिया के रोल आउट का विवरण देते हैं और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रक्रियाओं को स्पष्ट/सुव्यवस्थित करते हैं। इस संबंध में, स्व-मूल्यांकन के तेजी से सत्यापन के साथ-साथ विशेषज्ञता को बढ़ावा देने, अनावश्यक प्रश्नों को समाप्त करने और तेजी से निर्णय लेने की सुविधा के लिए और परिणामस्वरूप मूल्यांकन प्रक्रिया में एकरूपता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय निर्धारित हैं:

Attention of all concerned officers of Customs is invited to CBIC Circulars No. 14/2021-Customs dated 07.07.2021, No. 28/2020-Customs dated 05.06.2020, No.40/2020-Customs dated 04.09.2020, No.45/2020- Customs dated 12.10.2020 and No. 55/2020-Customs dated 17.12.2020, which put together detail the roll out of Faceless Assessment pan India w.e.f. 31.10.2020 and clarify/streamline certain processes for its effective implementation. In this regard, the following measures are prescribed to faster verification of self-assessments as well as to promote specialization, to eliminate unnecessary queries, and to facilitate faster decisions, in turn, and enhance uniformity in assessment procedure:-

- सभी एफ ए जी के काम के घंटे किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक एक समान होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन समान कार्य घंटों के भीतर, किसी भी निर्धारण अधिकारी को भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित कार्य घंटों से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, समय-समय पर उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं या स्थानीय परिस्थितियों की स्थिति में सीमा शुल्क के कामकाज की प्रकृति को देखते हुए, अधिकारी अपर आयुक्त सीमा शुल्क से अनुमोदन लेकर निर्धारित समय अंतराल के बाद सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक काम कर सकते हैं।

The working hours of all FAGs shall be uniform from 10 AM till 8 PM on any working day. It is clarified that within these uniform working hours, no assessing officer is required to work for more than the working hours that are prescribed, as per the existing guidelines of the Government of India. However, considering the nature of Customs functioning, in the event of administrative exigencies or local circumstances that may emanate from time to time, the officers can work beyond the prescribed time interval of 10 AM to 8 PM by taking approval from the Additional Commissioner of Customs.

ii. एफएजी को बिल ऑफ एंट्री के आवंटन के बाद 3 कार्य घंटों के भीतर उस पर 'प्रथम निर्णय' के बारे में सूचित करना होगा। पहला निर्णय स्व-मूल्यांकन की स्वीकृति, आयातक से पूछताछ या एक प्रथम जांच, जैसा कि आवश्यक हो, हो सकता है।

FAGs should communicate the 'first decision' on the Bill of Entry within 3 working hours after its allocation. The first decision could be acceptance of the self-assessment, query to the importer or a First Check, as may be warranted.

iii. बिल ऑफ एंट्री के संबंध में एक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उठाए जा सकने वाले प्रश्नों की कुल संख्या को कम से कम किया जाना चाहिए। यह निर्देश दिया जाता है कि एक से अधिक प्रश्न न उठाए जाएं, और मूल्यांकन/वर्गीकरण आदि के संबंध में सहायक विवरण/दस्तावेजों का संदर्भ देते हुए स्पष्ट और समग्र तरीके से प्रश्न उठाने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि आयातक को कोई संदेह न हो और वह सत्यापन को जल्दी पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से उत्तर देने की स्थिति में हो।


The total number of queries which can be raised by an appraising officer in respect of a bill of entry should be minimized. It is directed not to raise multiple queries, and also directed to raise query in a clear and holistic manner, giving reference to supporting details/documents with respect to valuation/classification etc., so that the importer does not have any doubt and is in a position to reply categorically for early completion of verification.

iv. इसलिए, अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे बिल ऑफ एंट्री में अधिक प्रश्न उठाते समय उचित सावधानी बरतें, और यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से पालन करें।

Hence, officers are directed to exercise due caution while raising multiple queries in Bills of Entry, and are also directed to strictly adhere the above instruction.

v. इस संबंध में किसी भी कठिनाई का अनुभव होने की स्थिति में उसे तत्काल अपर आयुक्त सीमा शुल्क के संज्ञान में लाया जाए।

Any difficulties/ experienced in this regard may be brought to the notice of the Additional Commissioner of Customs immediately.



(मो. यूसफ़ MOHD.YOUSAF)
आयुक्त COMMISSIONER

प्रति Copy to:

1. मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के, तिरुवनंतपुरम जोन, आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone, I.S.Press Road, Cochin
2. अपर आयुक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क गृह, कोचिन The Additional Commissioners of Customs, Custom House, Cochin
3. उप/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क गृह, कोचिन The Deputy/Assistant Commissioners of Custom House, Cochin
4. मूल्यनिरूपक अधिकारी, सीमा शुल्क गृह, कोचिन The Appraising Officers, Custom House, Cochin
5. ई डी आई अनुभाग - कोचीन सीमा शुल्क वेबसाइट में प्रकाशन के लिए।EDI Section - For publication in the Cochin Customs website.
6. Notice Board सूचना पट्ट